कार्यालयः अधीक्षण अभियन्ता, एम–42
लोक निर्माण विभाग, (रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार)
सुखदेव विहार, मथुरा रोड, नई दिल्ली–110025
दूरभाष / फैक्स संख्या : 26322484 26837368
ईमेल आई.डी. : sepwddelhim42@gmail.com

PWD

O/o THE SUPERINTENDING ENGINEER, M-42
PWD, (Govt of N.C.T. of Delhi)
Sukhdev Vihar, Mathura Road, New Delhi-110025.
Telephone/Fax No : 26322484 26837368
E-mail ID : sepwddelhim42@gmail.com

सं : 61 (1) / सि0भ0अनु0परि0 एम–42 / 1245 दिनांक 07-7 / 2015

विषयः निरीक्षण नोट ।

कार्य का नाम : C/o District Court Complex, Saket, Main Court building, New Delhi.
(SH: C/o Lock-up building)
Agreement No : 49 /EE/CBMD/M-422 / 2013 -14

अद्योहस्ताक्षरी ने आज दिनांक 07.07.2015 को उपरोक्त कार्य का निरीक्षण सहायक अभियंता / कनिष्ठ अभियंता के साथ किया और पहले भी इस कार्य का निरीक्षण दिनांक 22.06.2015 को किया था । निरीक्षण के संक्षिप्त नोट कार्य के निरीक्षण रजिस्टर में नोट कर दिए गए है और इसके अतिरिक्त पाया गया कि :–

1 कार्य के बेसमेंट की नींव में बरसात का काफी पानी एकत्र हो गया है इसे तुरन्त निकालने की व्यवस्था की जाये ।
2 वैद्युत कार्यो के लिए एसोसिएट एजेंसी का कोई विवरण कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं है ।
3 भवन के नक्शे तथा प्रगति विवरण, फोटोग्राफ इत्यादि कार्यस्थल पर दर्शायी नहीं गई है । न ही वैद्युत कार्य के लिए अनुमोदित नक्शे कार्यस्थल पर उपलब्ध है ।
4 कार्य करने के लिए विस्तृत प्रोग्राम चार्ट कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं है और न ही गुणवत्ता आश्वासन प्रोग्राम कार्यस्थल पर उपलब्ध है ।
5 साईट रजिस्टर जैसे कि सीमेंट रजिस्टर, टेस्ट रजिस्टर, एम.एस. / स्टील रजिस्टर इत्यादि रजिस्टरों का रखरखाव कनिष्ठ अभियंता द्वारा किया जा रहा है जोकि करार की शर्तों के विपरित है ।
6 कार्यस्थल पुस्तिका में कार्यपालक अभियंता ने कोई प्रविष्टि अभी तक नहीं की है और कोई भी निरीक्षण नोट उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रतीत होता है कि उन्होंने कार्य का निरीक्षण नहीं किया । कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता / कनिष्ठ अभियंता कार्यस्थल पर जब भी निरीक्षण करें और निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों को नियमित रूप से रजिस्टर में दर्ज करें । इन्हें ठेकेदार के संज्ञान में लाये और उनका अनुपालन सुनिश्चित करें ।

Dictation: Hindi latter M-42

7 कार्य में सुरक्षा संहिता का पालन सही प्रकार से नहीं किया जा रहा है । बेसमेंट की नींव में जाने के लिए एक बांस की सीढी लगायी गई उससे कार्य करने के दौरान कोई दुर्घटना होने पर शीघ्र नहीं निकला जा सकता । करार की शर्तों के अनुसार सभी सुरक्षा संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाये साथ में कामगारों के स्वास्थ्य तथा साफ–सफाई व्यवस्था के संरक्षण के लिए आदर्श नियम का पालन सुनिश्चित किया जाये । अभी तक कार्यस्थल पर प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था, पेयजल इत्यादि नहीं है ठेकेदार के श्रमिकों के लिए विनयम का करार की शर्तो के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

आज के निरीक्षण के इंस्पेशन नोट की प्रति इस पत्र के साथ संलगन है । कृपया सभी बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

7/7/15
अधीक्षण अभियंता
सि.भ.अनु.परि, एम–42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली–25

प्रतिलिपि:–

1 मुख्य अभियंता, अनुरक्षण अंचल एम–4, लोनिवि, एस.एस.ओ.भवन. नई दिल्ली ।

2 कार्यपालक अभियंता एम–422, हौजखास, नई दिल्ली ।

अधीक्षण अभियंता 7/7/15